संख्या-327/2025/001-ए0टी0आई0/2025-26

प्रेषक,

देवेश मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी,
लखनऊ।

कार्मिक अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 02 मई, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान संख्या-019 के अन्तर्गत पूंजी लेखा हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदशेक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, लखनऊ के पत्रांक-151, दिनांक 29.04.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में डॉ0 राम मनोहर लोहिया राज्य प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, चकगंजरिया, सिटी, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ के निर्माण कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 करोड में से रू0 25 करोड की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने के किये गय अनुरोध एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन एवं शासनादेश संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में निर्गत दिशा-निर्देशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान संख्या-019 के पूंजी लेखाशीर्ष-4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-0003-प्रशिक्षण-03-उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी-0302-डॉ राम मनोहर लोहिया राज्य प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी 24-वृहद निर्माण कार्य में प्रावधानित धनाराशि रू0 50.00 करोड के सापेक्ष रू0 25.00 करोड (रूपये पच्चीस करोड मात्र) को निम्नलिखित नियम व शर्तें/प्रतिबंधो के अधीन महानिदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

नियम व शर्तें/ प्रतिबंधों

(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वह उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(2) धनराशि के व्यय में सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उसका व्यय उसी प्रयोजन में किया जायेगा, जिस हेतु इसका प्रावधान किया गया है।

(3) सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही धनराशि निर्गत की जायेगी।

(4) प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(5) प्रशासकीय विभाग यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(6) कार्मिक अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-699/47-3099/341/2020, दिनांक 06.11.2024 एवं संख्या-699(।।)/47-3099/341/2020, दिनांक 17.02.2025 द्वारा परियोजना हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 25,00,00,000 (रूपये पच्चीस करोड मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-019 लेखा शीर्षक 4070000030302 डॉ0 राम मनोहर लोहिया राज्य प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(देवेश मिश्र)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या327/2025/001-ए0टी0आई0/2025-26तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाईल/संबंधित को विभागीय वेबसाई पर अपलोड करने हेतु।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

भवदीय,

(देवेश मिश्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।